हलधर महतो एवं उपेन्द्र नारायण उराँव सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग का वीरेन दिग्गी, ग्राम – पोड़ाहाट टोला गुटुसाई, प्रखण्ड सोनुआ, पश्चिमी सिंहभूम के संभावित भूख से मृत्यु की जाँच संबंधी प्रतिवेदन।

जांच दल में शामिल सदस्य

1. श्री उपेन्द्र नारायण उराँव :– सदस्य राज्य खाद्य आयोग, रांची ।
2. श्री हलधर महतो :– सदस्य राज्य खाद्य आयोग, रांची ।

अन्य अधिकारी/जाँच के समय शामिल सदस्य

1. श्री प्रदीप प्रसाद :– अनुमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट चक्रधरपुर
2. श्री सुरेन्द्र कुमार :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी प० सिंहभूभ ।
3. श्री समीर कच्छप :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सोनुआ।
4. श्री सुनील कुमार दुबे :– प्रखण्ड पणन पदाधिकारी सोनुआ।
5. श्री अजीत कुमार मांझी :– मुखिया, पोड़ाहाट।

गाँव के बारे में एवं परिवारों की आजीविका के बारे में संक्षिप्त जानकारी :–

गाँव में परिवारों की संख्या 55 से 60 के बीच में है। जनसंख्या लगभग 255 के आसपास है। 55 – 60 परिवारों में से सिर्फ 2 परिवारों के पास थोड़ी सी जमीन है, जो खेती करते हैं। उन दो हेम्ब्रम परिवारों का खेती से उत्पन्न अनाज 2 माह भी नहीं चलता है। अधिकतर परिवार जंगल से लकड़ी और पत्ता ला कर सोनुआ व आसपास में बेच कर किसी तरह से अपने घर चलाते हैं। कुछ आदमी गाँव के आसपास अन्य लोगों के यहाँ मजदूरी करते हैं एवं 2 से 4 परिवार बाहर मजदूरी करने जाते हैं। एक घर गोप परिवार से है, बाकि सभी अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं। गाँव में अवस्थित नव सृजित प्राथमिक विद्यालय को पोड़ाहाट विद्यालय में समायोजित कर दिया गया है। अतः गाँव का विद्यालय भी बन्द हो गया है। गाँव में सिर्फ एक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र है, जहाँ छोटे बच्चे जाते हैं, जो नियमित है।

जाँच में पाये गए तथ्य/बिन्दु निम्न प्रकार है।

बीरेन दिग्गी जिसकी तथाकथित भूख से मौत की खबर जो अखबार में छपी थी की उम्र उपलब्ध आधार कार्ड के अनुसार 86 वर्ष थीं (आधार कार्ड की प्रति संलग्न) बीर सिंह

हेम्ब्रम (बिरेन दिग्गी का पूर्व पड़ोसी भतीजा) के अनुसार उसके परिवार में वह अकेली महिला थीं। बेटा कोई 10–12 वर्ष पूर्व गाँव से कहीं बाहर चला गया जिसका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। एक बेटी जिसकी शादी हो गई थीं, 2 वर्ष पूर्व उसकी और दामाद की हत्या/मृत्यु हो गई है। बीरेन दिग्गी का घर भी गिर गया था, अतः रहने को अपना घर नहीं था। आंगनबाडी –सेविका पेलाँग कुई बीरेन दिग्गी को अपने नवनिर्मित एवं निर्माणधीन घर में विगत 1 वर्ष से रखी हुई थी। जहाँ बीरेन दिग्गी जमीन पर ही एक छोटा सा एसबेस्टस का Sheet के ऊपर एक बोरा बिछा (गाँव से प्राप्त फोटो संख्या–1 एवं 2) कर उसी में सोती थी। पेलोंग कुई (आंगनबाड़ी सेविका), बीरेन दिग्गी की दयनीय स्थिति को देखते हुए न सिर्फ अपने घर में रख रही थी, बल्कि आंगनबाड़ी के कार्य दिवस पर आंगनबाड़ी केन्द्र में बनने वाले खाने से ही प्रतिदिन दोपहर को निकाल कर खाना देती थी। रात को भी आंगनबाड़ी सेविका अपने घर के खाना से ही बीरेन दिग्गी को खाना खिलाती थी। जाड़ा शुरु होने पर आंगनबाड़ी सेविका बीरेग दिग्गी के सोने की जगह के पास एक छोटा सा चूल्हा बना कर उसमें आग जला देती थी और पानी गर्म कर देती थी। इसके साथ–साथ समय–समय पर वह बीरेन दिग्गी को उठाना–बैठाना और सेवा करती थी। आंगनबाड़ी सेविका पेलौंग कुई बीरेन दिग्गी की कुछ नहीं होते हुए भी विगत एक वर्ष से उसकी सेवा के साथ–साथ खाना–पीना भी खिला रही थी।

फोटो संख्या – 1

फोटो संख्या–2

बीरेन दिग्गी को अन्त्योदय कार्ड था, परन्तु माह जुलाई से राशन मिलना बन्द हो गया था। बीरेग दिग्गी का पेंशन भी मई, 2017 से ही KYC न करा पाने के कारण बन्द था (संलग्नक–1 (ख)) ऑनलाईन स्थल पर ही आहार पोर्टल पर बीरेन दिग्गी का राशन कार्ड सं0–202007004126, रान्दो हेम्ब्रम का कार्ड सं0–202006023189, नितिम बोदरा का कार्ड सं0–202006044920 एवं अन्य एक–दो लोगों का जाँच करने पर पता चला कि उन सभी लोगों को भी माह जुलाई से राशन नहीं मिला है।

ज्ञातव्य हो कि बीरेन दिग्गी (86 वर्ष) जो चल–फिर पाने में भी असमर्थ थी एवं जिसकी देखभाल दूसरे परिवार की आंगनबाड़ी सेविका द्वारा किया जा रहा था, के द्वारा स्वयं KYC के लिये बैंक या अन्य जगह जाना मुश्किल था। ऐसे में अधिकारियों के द्वारा भी उसके वृद्धावस्था पेंशन को अनदेखा करना काफी असंवेदनशील लगता है। उपस्थित अन्य लोगों से पूछताछ करने पर यह भी पता चला कि पूरे गाँव में सभी राशन कार्डधारियों को माह सितम्बर से राशन नहीं मिल पा रहा है। आहार पोर्टल पर भी अनाज न मिलने के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं (संलग्न–2)। इतने दिनों से किसी भी लाभुकों को राशन न मिलने के बावजूद खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई भी संज्ञान न लिया जाना और लाभुकों को राशन दिलाये जाने हेतु कोई कदम न लेना पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है। ज्ञातव्य हो कि पोड़ाहाट के गुटूसाई टोला के लगभग 55 से 60 परिवारों में से सिर्फ 2 परिवारों को खेती से सिर्फ 2 माह का अनाज बामुश्किल मिलता है। जनवितरण प्रणाली से मिलने वाला राशन इनके प्रतिदिन के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाकि बचा हुआ भोजन एवं अन्य जरुरतों का जुगाड़ वे किसी तरह से पत्तल, लकड़ी आदि बेचकर करते हैं एवं अपना गुजारा करते हैं। यहाँ पुनः ध्यान आकृष्ट करना उचित होगा कि पूरे झारखण्ड में अगस्त – सितम्बर माह (भादो और आसीन) में घर में खाद्यान्न/अनाज भारी कमी होती है। ठीक इसी समय जनवितरण प्रणाली की दुकान से भी आपूर्ति का बन्द हो जाना काफी दुखद है।

इसी संदर्भ में अनुज्ञप्ति धारी, आकर्शनी स्वयंसेवी सहायता समूह पोड़ाहाट, की सचिव सविता राउत से बातचीत करने पर उसने बताया कि चार से माह किसी को भी राशन नहीं दिया है। क्योंकि ई–पॉस मशीन द्वारा राशन देने पर उसमें कुछ भी दिखाता नहीं था। मशीन ऑफलाईन था और जुलाई माह से खराब था। माह अगस्त तक ऑफलाईन राशन वितरण किये हैं। जो कि अपडेट नहीं हो पाया। मशीन खराबी के संबंध में, सविता राउत एवं बिजुड़ी राउत मशीन लेकर सूचना देने पणन पदाधिकारी (M.O) के पास ब्लॉक गए थे। वहाँ से पणन पदाधिकारी (M.O) द्वारा जिला भेज दिया गया, जहाँ जा कर हमने जिला के ऑपरेटर को मशीन दिखाया। जिला से हमें बिना मशीन ठीक किये वापस कर दिया गया। मशीन खराबी के संबंध में माह सितम्बर में हम दोनों पणन पदाधिकारी (M.O) साहब को आवेदन लिख कर दिये हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण हमको (राशन दुकानदार) मिलने वाले राशन में कटौती कर अलॉटमेंट किया गया, जो कि जरूरत से काफी कम था। हमलोग सभी कार्डधारियों को राशन नहीं दे पाते। इसलिये हमलोगों ने राशन नहीं उठाया। इसकी पूरी जानकारी हमलोगों ने प्रशासन को दी।

पंचायत समिति सदस्य, पोड़ाहाट, श्रीमती रानी बान्दिया द्वारा भी माह सितम्बर से राशन न मिलने के संबंध में दिनांक–03.11.2018 को उपायुक्त कार्यालय, चाईबासा में इसकी सूचना

दी गई। उपायुक्त कार्यालय एवं जिला आपूर्ति कार्यालय को लिखित रुप से सूचना दी गई, जिसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक–3 (क एवं ख))

राशन दुकानदार सविता राउत, एवं जुबड़ी राउत के अनुसार उन्होंने उत्पन्न समस्या से अधिकारियों को समय पर अवगत करा दिया था, परन्तु विभाग की ओर से समस्या का समाधान करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

गाँव की उपस्थित महिला आशा हेम्ब्रम के द्वारा बताया गया कि उन्होंने गाँव की ओर से राशन बन्द होने के संबंध में दिनांक–19.11.2018 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को आवेदन के माध्यम से इसकी सूचना दी गई थी, जिसका पावती प्रति साथ में संलग्न है (संलग्नक–4)। इसका सत्यापन जाँच के दिन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, श्री समीर कच्छप ने आयोग की टीम, उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष किया। पुनः श्री बसन्त प्रधान, अध्यक्ष, 20 सूत्री कार्यक्रम द्वारा भी बताया गया कि माह अक्टूबर में उन्हें एक आवेदन की प्रति आंगनबाड़ी केन्द्रों में विगत छः माह से राशन के लिये पोषाहार का पैसा न आने के संबंध में आशा हेम्ब्रम व अन्य द्वारा दिनांक–31.10.2018 को दिया गया था, जिसका पावती प्रति संलग्न है (संलग्नक–5) एवं राशन न मिलने के संबंध में बताया गया था, जिस पर उन्होंने उसी दिन तुरन्त पणन पदाधिकारी (M.O) को बुलाकर उन्हें सूचित किया था। साथ ही उपस्थित पणन पदाधिकारी (M.O) से बात करने पर उन्होंन बताया कि गाँव से प्राप्त आवेदन की कॉपी में ही उन्होंने अपना मन्तव्य एवं Forwarding लिख कर जिला को सूचित कर दिया गया था। पणन पदाधिकारी (M.O) से Forward की गई पत्र की प्रति मंगाने पर उन्होंने बताया कि मूल कॉपी ही जिला में जमा है एवं उनके पास कोई कॉपी नहीं है। पणन पदाधिकारी (M.O) को निदेश दिया गया कि जिला को सचित की गई पत्र की प्रति आयोग को उपलब्ध कराएँ। प्रतिवेदन लिखे जाने तक इसकी प्रति आयोग को उपलब्ध नहीं कराई गई।

मुखिया श्री अजीत कुमार मांझी द्वारा बताया गया कि बीरेन दिग्गी के संबंध में उनको कोई जानकारी नहीं थी। बीरेग दिग्गी की मौत के बाद उन्होंने आकस्मिक निधि की राशि 10,000/– में से 9 दिसम्बर, 2018 को गाँव के प्रत्येक परिवार को बिना कोई आधार के 5 किग्रा0 चावल खरीद कर दिया (संलग्नक–6)। ज्ञातव्य हो कि मुखिया द्वारा स्पष्ट रुप से कहा गया कि उन्हें बीरेन दिग्गी की स्थिति के बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था।

गाँव वालों द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक–26.11.2018 को मुख्यमंत्री जन संवाद में राशन नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराया गया था, जिसकी शिकायत नं0–10571 है।

बीरेन दिग्गी के पेंशन न मिलने के संबंध में भी मुख्यमंत्री जन संवाद कोषांग में श्री संदिप प्रधान की मदद से शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसका शिकायत नं0–6115 बताया गया।

आंगनबाड़ी सेविका का बयान :–

आंगनबाडी सेविका पेलोंग कुई के अनुसार मृतका बीरेन दिग्गी का घर पिछले वर्ष ही गिर गया था। उसके बाद से पिछले एक वर्ष से वह बीरेन दिग्गी को अपने ही घर में रख रही थी। बीरेन दिग्गी परिवार की अकेली महिला थी एवं उसका कोई नहीं था। अतः वह गाँव की बुजुर्ग महिला होने के नाते उसकी देखभाल एवं चिकित्सा सेवा करती थी। दिन को आंगनबाड़ी केन्द्र में बनने वाले भोजन से ही उसको खाना खिलाती थी एवं रात को अपने घर का खाना में से ही बीरेन दिग्गी को भी खिलाती थी। जाड़ा शुरु होने पर उसने बीरेन दिग्गी जहाँ रही थी, के पास एक छोटा–सा चूल्हा जला देती थी एवं बीरेन दिग्गी के लिये कभी–कभी पानी भी गर्म कर देती थी। बीरेन दिग्गी को मिलने वाले अनाज से उसको कुछ सहयोग हो जाता था, जो माह जुलाई, 18 से यह सहयोग भी मिलना बन्द हो गया, क्योंकि बीरेन दिग्गी को राशन मिलना बन्द हो गया था।

आंगनबाड़ी केन्द्र में भी माह जुलाई, 18 से पोषाहार का पैसा नहीं आया था। आंगनबाड़ी के खाना के लिये राशन दुकानदार से सिर्फ चावल मिल रहा है। बच्चों को दिया जाने वाला अण्डा, वह सोनुआ जा कर एक दुकान से लेकर आती है।

माह जुलाई से आंगनबाड़ी केन्द्र का खर्च चलाने के लिये कोई भी पैसा नहीं आया है। वह अपने पैसों से किसी तरह आंगनबाड़ी केन्द्र को चला रही है।

राज्य सरकार द्वारा कथित रुप से भूख से मृत्यु से संबंधित सूचना मिलने पर प्रोटोकॉल समिति द्वारा अनुशंसित जाँच पद्धति रुप–रेखा कण्डिका – (i) के अनुसार जाँच प्रतिवेदन संलग्न है। जाँच समिति के सदस्य अनुमण्डल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गाँव वालों ने दफनाए गए शव को निकाल कर पोस्टमार्टम करने हेतु मना कर दिया। अतः कण्डिका (ii) का प्रतिवेदन जाँच रिपोर्ट में संलग्न नहीं किया गया है। जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न (संलग्नक – 1(क))।

अनुशंसा एवं कार्रवाई :–

मृतका बीरेन दिग्गी के पेंशन योजना के छानबीन के क्रम में ज्ञात हुआ कि उनका अंतिम पेंशन माह मई, 2017 को मिला है। उसके पश्चात् किन कारणों से पेंशन मिलना बन्द हुआ, किन्हीं ने नहीं बता पाये। उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी चक्रधरपुर ने बताया कि KYC के अभाव में पेंशन भुगतान नहीं हो पाया है।

पेंशन भुगतान का दायित्व जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सम्पन्न होता है। इस निमित यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रभारी सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा ऐसे मामलों को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। इस क्रम में उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम, प्रभारी सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्रवाई हेतु जिम्मेवारी सुनिश्चित करें। भविष्य में इस तरह की घटना की कोई पुनरावृति न हो, इसके लिये प्रभारी सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी सचेत रहें।

माह जुलाई से अनाज वितरण की प्रक्रिया बन्द है। इस जानकारी को जन वितरण प्रणाली दुकानदार एवं स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा समय–समय पर विभाग एवं जिला प्रशासन को अवगत कराया गया। इसके बावजूद विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई न किया जाना गंभीर चिन्ता का विषय है। निदेशित किया जाता है कि पोड़हाट, गुटुसाई एवं अन्य टोला के सभी कार्डधारियों को, जो आकर्शनी महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली की दुकान से संलग्न थे, सभी को माह सितम्बर से दिसम्बर तक का बकाया राशन वितरण कर आयोग को कृत कार्रवाई से अवगत कराने की कृपा की जाय।

जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रुप में जिला आपूर्ति पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम उपस्थित थे। उनके द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन (E-POS) वितरण व्यवस्था के तहत आहार पोर्टल में जनवितरण प्रणाली के दुकानदार के पास अनाज की उपलब्धता प्रदर्शित होने के कारण राज्य स्तर से ही आवंटन उपलब्ध नहीं किया गया। केवल इसी आधार पर जिला प्रशासन का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता है। जिला प्रशासन का यह दायित्व भी बनता है कि वह हर हालत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत योग्यताधारी लाभुकों को (कार्डधारियों को) को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें। उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम इस बिन्दु पर जिम्मेवारी सुनिश्चित कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा – 33 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उपायुक्त कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत करावें।

सुझाव :–

1. ज्ञातव्य हो कि पोड़ाहाट, गुटूसाई जैसे जिला के अन्य गाँवों की स्थिति को चिन्हित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रत्येक वर्ष, माह जुलाई से अक्टूबर तक हर हाल में जनवितरण प्रणाली से मिलने वाला अनाज निश्चित रुप से लाभुकों को उपलब्ध हो। क्योंकि यह समय अनाज का घोर अभाव का समय होता है। विभाग इस अवधि को लाभुकों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने को तत्पर रहें।

2. E-POS मशीन के माध्यम से वितरण के अलावे लाभान्वित को अन्य उचित माध्यम से हुए राशन वितरण का सत्यापन कर वास्तविक स्टोक या भण्डारण की स्थिति को आधार मानकर अनाज आवंटन की प्रक्रिया सुनिश्चित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है एवं इसकी सतत् निगरानी विभाग द्वारा विधि सम्मत रखा जाना भी आवश्यक है।

   E-POS मशीन के उपयोग कर उचित लाभुक को राशन उपलब्ध कराना तथा काला बाजारी पर अंकुश लगाना विभाग द्वारा प्रशंसनीय है। लेकिन इस कड़ी में नेटवर्क या अन्य तकनीकि कारणों से लाभुक को उसके हक से वंचित रखना चिन्ता का विषय है। खाद्य आपूर्ति विभाग यह सुनिश्चित करें कि नेटवर्क या अन्य तकनीकि कारणों से वंचित होने वालों का हकमारी न हो।

3. ज्ञातव्य हो कि बीरेन दिग्गी 86 वर्षीय वृद्ध महिला निराश्रित थी। आंगनबाड़ी केन्द्र होने के कारण उसे खाना एवं सेवा आंगनबाड़ी सेविका द्वारा किया जा सका। आहार पोर्टल में उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसे बहुत से मामले हैं, जहाँ एकल परिवार है। हो सकता है, इनमें से बहुत से वृद्ध और बेसहारा भी हों। ऐसे मामलों को नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्रों अथवा विद्यालय के गर्म पके–पकाये भोजन से संबद्ध किया जाय।

अनुलग्नक :–

1. यथा उपरोक्त।
2. भ्रमण के दौरान मुखिया–श्री अजीत मांझी, आंगनबाड़ी सेविका–श्रीमती पेलोंग कुई, बीरेन दिग्गी का पड़ोसी भतीजा–बीर सिंह हेम्ब्रम एवं ग्रामीण आशा हेम्ब्रम से पूछताछ के क्रम में की गई वीडियोग्राफी का रिकोर्ड।

26.12.18
(उपेन्द्र नारायण उराँव)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

26-12-2018
(हलधर महतो)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक :– रा०खा०आ० (भ्रमण) 3/18- 770 **दिनांक :–** 02.01.19

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.1.19
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक :– रा०खा०आ० (भ्रमण) 03/2018 – 770 दिनांक :– 02.01.19

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.1.19

(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक :– रा०खा०आ० (भ्रमण) 03/2018 – 770 दिनांक :– 02.01.19

प्रतिलिपिः– उपायुक्त/जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह सिविल सर्जन, पश्चिमी सिंहभूम को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.1.19

(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।